भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2624

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

गुजरात में कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या

2624. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा युवाओं, विशेषकर गुजरात के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले युवाओं के कौशल विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात में इस योजना के अंतर्गत कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कुल कितने व्यक्तियों/युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या इन प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत गुजरात को कुल कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), गुजरात राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल विकास प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के गैर-साक्षर, नव-साक्षर और 8वीं कक्षा तक की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षु को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में एमएसडीई की इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

स्कीम	**उम्मीदवारों की संख्या**
पीएमकेवीवाई	109968
जेएसएस	81956
एनएपीएस	368889
सीटीएस *(आईटीआई)	419260

* सत्र 2019-20 से 2023-24

(ग): वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक लागू किए गए पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन के विवरण ट्रैक किए गए थे। पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0 और 3.0) के तहत, गुजरात राज्य में कुल 69,289 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है, जिसका जिला-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

(घ): पीएमकेवीवाई और जेएसएस योजना के तहत निधियाँ निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। जेएसएस योजना के तहत निधियाँ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सीधे जारी की जा रही हैं। एनएपीएस के तहत, लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1500 रुपए तक का वृत्तिका सहायता जारी की जाती है। आईटीआई के संबंध में दैनन्दिन का अभिशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

एमएसडीई की योजनाओं के तहत गुजरात राज्य के लिए जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

स्कीम	**जारी निधि (करोड़ रू.)**
पीएमकेवीवाई (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.12.2024 तक)	287.82
एनएपीएस (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.12.2024 तक)	147.66
जेएसएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025 तक)	27.91

अनुबंध

'गुजरात में कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2624 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0 और 3.0) के अंतर्गत गुजरात राज्य में नियोजित उम्मीदवारों की जिला-वार संख्या:

गुजरात के जिले	उम्मीदवारों की संख्या
अहमदाबाद	9,121
अमरेली	610
आनंद	1,212
अरवल्ली	03
बनास कंथा	2,495
भरूच	2,606
भावनगर	2,772
बोटाड	896
छोटाउदेपुर	1,619
डैंग	354
देवभूमि द्वारका	138
दाहोद	550
गांधीनगर	1,269
गिर सोमनाथ	764
जामनगर	5,160
जूनागढ़	2,341
कच्छ	3,372
खेड़ा	1,024
महेसाणा	2,863
महीसागर	464
मोरबी	2,589
नर्मदा	1,309
नवसारी	656
पंचमहल	1,460
पाटन	359
पोरबंदर	413
राजकोट	3,415
साबर कंथा	942
सूरत	6,184
सुरेंद्रनगर	3,655
तापी	931
वडोदरा	3,863
वलसाड	3,880
समग्र	**69,289**

*****